महत्वपूर्ण
अति आवश्यक

संख्याःशिक्षा–एच0;ई0ई0 (4) 4–17/2017–18 Instructions.
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश ।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
18 FEB 2020
शिमला–1

दिनांक शिमला–171001 फरवरी, 2020

सेवा में

1. समस्त उपनिदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त उपनिदेशक (उच्च शिक्षा) हिमाचल प्रदेश। UNA
3. समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

विषयः पाठशालाओं में बच्चों के मध्याहन भोजन तैयार करने हेतू उपयोग किए जाने वाले पानी तथा इससे सम्बन्धित अन्य सुरक्षा एंवम स्वच्छता उपाय बारे दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर आपको इस निदेशालय के पत्र संख्या शिक्षा एच (प्रा0)(4)–4/10/2014–15 दिनांक 09.02.2016 तथा स्मरण पत्र दिनांक 11.02.2016, 23.02.2016 18.03.2016 17.11.2016 एंव 30.11.2017,25.05.2019,13.11.2019 के अन्तर्गत पाठशालाओं में बच्चों के लिए मध्याहन भोजन तैयार करने हेतु उपयोग किए जाने वाले पानी तथा उससे सम्बन्धित अन्य सभी सुरक्षा एंवम स्वच्छता उपायों बारे विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिन्हें आपको पुनः प्रत्येक पाठशाला स्तर पर कार्यन्वित करने हेतू निम्न प्रकार से जारी किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी एंवम अप्रिय घटना को घटित होने से रोका जा सके।

1. सभी पाठशालाओं में मध्याहन भोजन को बनाने हेतू सरकार द्वारा अधिकृत एंव प्रमाणित जल आपूर्ति स्त्रोतों पानी का ही इस्तेमाल करे।
2. प्रत्येक पाठशाला की स्कूल प्रबंधन समिति, सभी अध्यापक तथा पाठशालाओ में कार्यरत मिड डे मिल वर्करज़, पीने के पानी की टंकियों को माह में कम से कम दो बार अच्छी तरह से साफ करना सुनिश्चित करेगें तथा मध्याहन भोजन हेतू उपयोग में लाए जाने वाले पानी का उपयोग एंवम इस्तेमाल करने से पहले उसे आवश्यक रूप से जांच करना सुनिश्चित करेगें।
3. पानी की टंकियों की सफाई की तिथि एंवम दिनांक समय समय पर पानी की टंकियों पर या पाठशाला सूचना बोर्ड पर अंकित करना भी सुनिश्चित करें।
4. बच्चों के मध्याहन भोजन हेतू इस्तेमाल किए जाने वाले चावल, सभी प्रकार की खाद्य सामग्री जैसे दालें, सब्जियों, मसाले इत्यादि को खाना बनाने से पूर्व अच्छी तरह से साफ करना तथा उसे दो तीन बार साफ पानी से धोना सुनिश्चित करें तथा सभी खाद्य सामग्री को सुरक्षित एंवम स्वच्छ जगह पर ही रखे।
5. मध्याहन भोजन हेतू गली सड़ी सब्जियों का उपयोग न करें।

G-I 27/2/2020 27/2/2020 9412 27/2/2020

6. मिड डे मील वर्करज़ को सख्त हिदायत जारी करें , कि वह बच्चों को मध्याहन के भोजन हेतू उपयोग में लाए जाने वाले सभी बर्तनों को खाना बनाने से पहले एंव खाना खाने के पश्चात अच्छी तरह से साफ करें एंवम स्वच्छ स्थान पर सुखाकर रखे। इसके साथ –2 ही पाठशाला के रसोईघर को भी साफ सुथरा व स्वच्छ रखें तथा रसोईघर का समय–2 पर पानी के साथ धोना भी सुनिश्चित करें।
7. यह भी सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों के खाना खाने के बर्तन / प्लेटस को उन्हें खाना प्रदान करने से पहले प्रतिदिन अच्छी तरह से चैक करें तथा अध धुले बर्तन / प्लेटस में उन्हें खाना प्रदान न करें।
8. सभी बच्चों को पाठशाला में सुबह की प्रार्थना सभा में साफ सफाई के बारे में शिक्षित करें जैसे कि बच्चों को भोजन खाने से पहले व बाद में तथा शौच जाने के बाद अच्छी तरह से हाथों को साबुन से धोने के लिए कहें तथा उन्हें हाथ व पैर के नाखुन समय समय पर काटने हेतु भी कहें।
9. पाठशालाओं में मध्याहन भोजन प्रदान करते वक्त किसी बच्चों के साथ धर्म, जाति , वर्ण एंव लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेद भाव न किया जाए, इसीलिए बच्चों को मध्याहन भोजन हेतु रोल नम्बर वार बिठाने की व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त पाठशाला में किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियों के दौरान जैसे कि खेल कूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के दौरान यदि पाठशाला में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है , तो इस समय भी बच्चों के साथ धर्म, जाति , वर्ण एंव लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेद भाव न किया जाए तथा बच्चों को भोजन के समय रोल न0 वार ही दरीपटटी पर बिठाकर भोजन प्रदान करना सुनिश्चित कर अन्यथा इस सन्दर्भ में किसी प्रकार की कोताही एंव लापरवाही हेतु दोषी अधिकारियों / कर्मचरियो तथा अन्य दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनन सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
10. बच्चों को भोजन प्रदान करने हेतु खुले मैदान में न बिठायें इसलिए बच्चों को पाठशाला भवन के कमरों / हॉल अथवा बरामदे में दरी पटी पर बिठाकर भोजन प्रदान करना सुनिश्चित करें ।
11. बच्चों को यदि मध्याहन भोजन के समय फल इत्यादि प्रदान किये जाते हो तो फलों को प्रदान करने से पहले उन्हें दो–तीन बार अच्छी तरह से स्वच्छ पानी से धोना सुनिश्चित करें।
12. उपरोक्त के अतिरिक्त सभी मिड डे मील वर्करज़ को यह भी दिशा निर्देश जारी करें कि वह भी अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई एंव स्वच्छता का पूरा –पूरा ध्यान रखें , (जैसे कि उनके हाथों के नाखून अच्छी तरह से कटे हुए हों तथा वह बाल व सिर को ढक कर खाना बनायें इसके अतिरिक्त सभी मिड डे मील वर्करज़ को खाना बनाने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह साबुन के साथ धोना सुनिश्चित करें।
13. यह भी ध्यान रखे कि शेष बचे हुए खाने एंवम खाद्य सामग्री को पाठशाला के ईद गिर्द या इधर–उधर न फैंके , इसीलिए बच्चे हुए खाने / खाद्य सामग्री एंवम इससे सम्बन्धित कचरे के निस्तारण हेतू पाठशाला के समीप एक गढा बनाकर उसमें डाले।
14. बच्चों को पाठशाला में सुबह आयोजित प्रार्थना सभा के समय यह भी शिक्षित करें कि वह पानी के स्त्रोतों को प्रदूषित न करें तथा खुले में शौच इत्यादि न करें।
15. पाठशाला के बच्चों एंवम अन्य किसी भी अनाधिकृत व्यक्तियों को रसोईघर में बिल्कुल न प्रवेश करने दिया जाए तथा खाना वितरित करने के उपरान्त रसोईघर को ताला लगा दिया जाए एंवम रसोईघर को बन्द करने से पूर्व गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को अच्छी तरह से बंन्द करना सुनिश्चित करे तथा गैस के सभी अन्य उपकरणों को भी अच्छी तरह से बन्द कर लें।

16. मध्याहन भोजन बनाने से पूर्व प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से जांच ले कि वह खाना बनाने हेतू पूरी तरह से ठीक है।
17. कीटों के संक्रमण को रोकने के लिए प्राकृतिक उपाय का ही उपयोग किया जाना चाहिए। इसीलिए पाठशाला में खाद्य सामग्री के रख रखाव व सुरक्षा हेतु किसी भी प्रकार की कीट नाशक दवाओं का उपयोग न करें तथा न ही कीट नाशक दवाओं को पाठशाला के रसोईघर तथा पाठशालाओं के समीप बिलकुल भी न रखें।
18. कच्चे खाघान्न के भंडारण के लिए पाठशाला में खाद्य ग्रेड प्लास्टिक भंडारण कंटेनर (Food grade plastic storage container) का प्रावधान किया जाए।

अतः इस सन्दर्भ में आपसे पुनः अनुरोध है आप सभी पाठशालाओं में मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत बच्चों को मध्याहन भोजन बनाने एवम परोसने से सम्बन्धित उपरोक्त जारी सभी प्रकार के सुरक्षा एंवम स्वच्छता उपायों एंवम दिशा निर्देशों को प्रदेश की सभी पाठशालाओं में सख्ती से पालन हेतु शीघ्र जारी करें।

(हितेश आज़ाद हि0प्र0से0)
संयुक्त निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
हिमाचल प्रदेश शिमला–171001
eleedu-hp@gov.in
0177-2658044

पृष्ठांकन संख्याः संख्याः ईडीएन–यू (जी–1) मिड–डे–मिल / 2018 / –16548–03 मार्च, 2020

प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक रा0व0मा0पा0 / उच्च पाठशालाएं जिला ऊना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
2. शिक्षा निदेशक उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला को सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक हिमाचल प्रदेश शिमला को उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

शिक्षा उप–निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)